यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 261/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/419

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
पप्पुराम पुत्र चिमाराम जाति विश्नोई निवासी पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर 2.जीवाराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी पलीना तहसील फलोदी 3.मांगी पत्नि चिमाराम जाति विश्नोई निवासी पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता प्रार्थी।
2. विप्रार्थी संख्या 01 व 2 एकपक्षीय ।
3. विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 26·2·2024

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 48 व 481/49 कुल क्षेत्रफल 22.9026 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 479/255 क्षेत्रफल 8.6627 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता चिमाराम का देहान्त होने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पुराम के स्थान [illegible] भाषा में पुखराम इन्द्राज कर दिया गया। लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध [illegible] के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में [illegible] प्रविष्टि पुखराम पुत्र चिमाराम के स्थान पर पप्पुराम पुत्र चिमाराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:18 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया तथा तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 48 व 481/49 कुल क्षेत्रफल 22.9026 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 479/255 क्षेत्रफल 8.6627 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता चिमाराम का देहान्त होने पर प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पुराम के स्थान घरेलू बोलचाल भाषा में पुखराम इन्द्राज कर दिया गया,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक पप्पुराम दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पुराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थी पुखराम पुत्र चिमाराम के स्थान पर पप्पुराम पुत्र चिमाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 48 व 481/49 कुल क्षेत्रफल 22.9026 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 479/255 क्षेत्रफल 8.6627 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थी पुखराम पुत्र चिमाराम के स्थान पर पप्पुराम पुत्र चिमाराम नाम दुरूस्ती करवाना चाहता है। विवादित भूमि की सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 03 ने इकबाली जवाब पेश कर स्वीकार किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पुराम है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम पुखराम दर्ज हो रखा है,जो पप्पुराम इन्द्राज किया जाता है,तो विप्रार्थी संख्या 03 को कोई आपति नहीं है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत पटाऊ खुर्द द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर तस्दीक किया है कि प्रार्थी पुखराम उर्फ पप्पूराम एक ही व्यक्ति है,प्रार्थी का वास्तविक नाम पप्पूराम है। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम ... हो रखी है,जो प्रार्थी दुरूस्त करवानें का हकदार है। प्रार्थी के अन्य ... एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बाड़मेर द्वारा कक्षा अष्टम बोर्ड परीक्षा 2007 जारी ... व अंक तालिका छायाप्रति,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज.अजमेर माध्यमिक परीक्षा 20... प्रवेश पत्र छायापति,आधारकार्ड छायाप्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र छायाप्रति, जन–आधारकार्ड छायाप्रति,डाईविग लाईसेंस छायाप्रति,पेनकार्ड छायाप्रति में प्रार्थी का वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नाम पप्पुराम पुत्र चिमाराम अंकन है,इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्ध नाम इन्द्राज हो रखा है,जो प्रार्थी विवादित भूमि में शुद्ध नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। प्रार्थी का विवादित भूमि में नाम प्रविष्टि शुद्ध करनें से सहखातेदार के हक हकूको पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है तथा न ही सहखातेदार द्वारा कोई आपति पेश की गई है। प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्ध नाम पुखराम के स्थान पर पप्पुराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 48 व 481/49 कुल क्षेत्रफल 22.9026 हैक्टयर एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 479/255 क्षेत्रफल 8.6627 हैक्टयर हैक्टयर भूमि में पुखराम पुत्र चिमाराम के स्थान पर पप्पुराम पुत्र चिमाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.2.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:18 IST
Reason: SelfAttested